

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग)
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अधिसूचना

संख्या-...../डी० एल० ए०सीतामढ़ी...../रा०,पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-गंगौली, थाना नं०-196, थाना-पुपरी, अंचल-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से भिसवा राज्य उच्च पथ सं०-87 के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त प्रतीत होता है कि ग्राम-गंगौली, थाना नं०-196, थाना-पुपरी, अंचल-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से क्वाड्रेट 0.150 हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनाधीन खेसरा संख्या- 182अंश, 174अंश, 173पूर्ण, 167अंश, 166/1512अंश, 231अंश, 232अंश, 234अंश, 239अंश, 154अंश, 152अंश, 775अंश एवं 776 का अंश रकबा

चौहद्दी

उत्तर-रोड सारिफ

दक्षिण-गौरी रोड

पूरब-खेसरा नं० 776, 775, 239, 237, 234, 232, 231, 166/1512, 167, 173, 174, 182 एवं रोड


पश्चिम- खेसरा नं० 152 एवं 154

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 संशोधित अधिनियम 1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक०), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि०, पी०आई०यू०-3, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहर्ता
सीतामढ़ी

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापक-...../डी० एल० एस०, सीतामढ़ी-.....77.../रा०,पटना, दिनांक-10-01-13

प्रतिलिपि- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रमारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


समाहर्ता
सीतामढ़ी

सरकार के अवर सचिव

6/2
8/1/13

CR